कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक......................./जि.विधि,उ०,न्या०
[I-03/2015-cwjc 5739/2015]
दिनांक 2015

फोन नं. :– 06456–222530, 222535
फैक्स नं. :– 06456–222626, 225480
ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :– **अनिमेष कुमार पराशर,** भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, 1 एवं 2, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, पूर्णियाँ।
प्रबंध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सिलिगुडी।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज
कार्यपालक पदाधिकारी, बहादुरगंज/ठाकुरगंज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल पदाधिकारी, किशनगंज।

विषय :– पथों पर बने अवैध गति अवरोधक (SPEED BREAKER) को हटाने के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 3780(एस), दिनांक 30.04.2015 द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में सूचित करना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू. जे.सी. सं. 5739/2015 में पारित आदेशानुसार सभी पथों पर अवैध रुप से निर्मित गति अवरोधक **(SPEED BREAKER)** को हटाया जाना है।

इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि अवैध रुप से पथकर की वसूली किसी के द्वारा की जा रही हो, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाय। **साथ ही, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन स्थानीय अभियंताओं तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा कठोरता पूर्वक किया जाना है।** पत्रानुसार उक्त मामले की सुनवाई मई माह में सम्भावित है एवं सुनवाई पूर्व माननीय पटना उच्च न्यायालय में कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन दायर किया जाना है।

उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु **उप विकास आयुक्त, किशनगंज को नोडल पदाधिकारी** के रुप में नामित किया जाता है तथा जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज संबंधित सभी विभागों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः प्राप्त पत्र एवं माननीय पटना उच्च न्यायलय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं. 5739/2015 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 20.05.2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह./–
(अनिमेष कुमार पराशर)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता

ज्ञापांक 147 / जि.विधि,उ',न्या', किशनगंज, दिनांक 11.05. 2015

प्रतिलिपि :– अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज/प्रखंडों के सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति साथ सूचनार्थ एवं समरुप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं तद्नुसार आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को इंगित पत्र, जो सीधे भी संबोधित है, की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं समरुप कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि एतद् विषयक निदेश सभी थानाध्यक्षों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/राष्ट्रीय उच्च पथ, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, किशनगंज को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं समरुप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को उक्त पत्र के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी. किशनगंज को सूचनार्थ एवं निदेश है कि जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

(अनिमेष कुमार पराशर)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं०–प्र०–10 / मुक०–01–27 / 2015 3780(S) दिनांक:– 30/4/15

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा मे

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस अधीक्षक,

विषयः– **पथों पर बने अवैध गति अवरोधक (Speed Breaker) को हटाने के संबंध में।**

प्रसंगः– (1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC 5739 / 2015 में दिनांक 13.04.2015 को पारित आदेश।
(ii) पथ निर्माण विभाग का पत्रांक 3588(S), दिनांक 22.04.2015.

महाशय,

उक्त विषय पर दिनांक 13.04.15 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC 5739 / 2015 में पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पथों पर अवैध रूप से निर्मित गति अवरोधक (Speed Breaker) को हटाने का आदेश दिया है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के प्रासांगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि अवैध रूप से अगर पथ कर की वसूली किसी के द्वारा की जा रही हो तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मुकदमा दायर किया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन हेतु स्थानीय अभियंताओं तथा सभी थाना प्रभारी को सख्त रूप से निदेश दिया जाए एवं इसका कठोरता से अनुपालन किया जाय।

उल्लेखनीय है कि उक्त मामले की सुनवाई मई माह में संभावित है एवं सुनवाई के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन दायर किया जाना है।

अनुरोध है कि उक्त निदेशों का कठोरता से पालन कराया जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाए।

अनु0 :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/4/15

(अंजनी कुमार सिंह),

ज्ञापांक:— 3780 (S) दिनांक:— 30/4/15

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/15

(अंजनी कुमार सिंह),

ज्ञापांक:— 3780(S) दिनांक:— 30/4/15

प्रतिलिपि:—सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/15

(अंजनी कुमार सिंह),

WEB COPY NOT OFFICIAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.5739 of 2015

In The Matter Of Letter Dated 21 March 2015 Of Mr. Vinod Kumar Singh & Ors.

..... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar & Ors

..... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr.
For the Respondent/s : Mr. Ashok Kumar Keshari, AAG-XI
For the N.H.A.I : Mr. S.N. Pathak, Adv.

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE ASHWANI KUMAR SINGH
ORAL ORDER
(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

2 13-04-2015 This PIL is taken up on the basis of a letter of the individuals expressing concern over construction of unauthorized speed-breakers and collection of tolls by the local goons. The situation has reached almost unbearable. In most part of the State, there are unauthorized encroachments on the roads and the unauthorized persons and goons are extracting money from the users of the road.

We direct the concerned authorities of National Highway Authority of India, Road Construction Department and Rural Engineering Department of the State of Bihar to inspect the National Highways, State Highways and other roads constructed by the Department and to find out as to whether any unauthorized speed breakers are put up by the private individuals or agencies

except the speed-breakers near schools, hospitals and other places put by the Department after proper survey, that too, in a proper condition. All unauthorized speed-breakers shall be removed within a period of fifteen days and the roads shall be made smooth at such places. The Secretaries of the departments shall issue necessary instructions in this regard.

The concerned Station House Officers shall ensure that if any body tries to collect unauthorized toll from the users of the Road, such persons are arrested and cases are registered against them.

Post after four weeks.

Learned Additional Advocate General XI shall submit a report as to the progress that has taken place in the matter.

Let a copy of this order be handed over to the learned Additional Advocate General XI.

(L. Narasimha Reddy,CJ)

(Ashwani Kumar Singh, J)

Pradeep/-